कार्यक्रम

बोले : एक दिन जबलपुर स्वच्छता की दिशा में नया मुकाम हासिल करेगा, स्वच्छता संस्कार-सफाई साथी आपके द्वार का शुभारंभ

संपूर्ण स्वच्छता में जन सहभागिता आवश्यक है : मंत्री पटेल

जबलपुर नवभारत। स्वच्छता अभियान चलने से इसके प्रति लोगों की धारणा बदली है और स्वच्छता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। संपूर्ण स्वच्छता में जन सहभागिता आवश्यक है। अभियान में मन- स्थिति में सुधारना होगा और इस काम को रोजगार पर ध्यान में रखकर स्वीकार करना होगा। साथ इस कार्य में नवीन तकनीक के उपयोग के लिए भी प्रोत्साहित किया। यह बातें प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मुख्य आतिथ्य में मानस भवन में स्वच्छता संस्कार-सफाई साथी आपके द्वार के शुभारंभ के दौरान कहीं। उन्होंने आशा वक्त किया कि एक दिन जबलपुर स्वच्छता की दिशा में नया मुकाम हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि सभी को यह प्रयास करना चाहिए कि राष्ट्रीय पर्वों के दो दिन पूर्ण अपने-अपने गांव को पूरा स्वच्छ रखे। साथ ही कहा कि 2026 में सभी जगह से यह ध्वनि आए की सफाई मित्र पुरस्कार लेने गए हैं। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि स्वच्छता अभियान निरंतर जारी रहेगा। वे स्वयं 3- 4 माह हमें व्यक्तिगत रूप से बैठकर इस कार्य का फीडबैक लेंगे। जनसहभागिता से मध्यप्रदेश का यह पहला स्वच्छता संस्कार-सफाई साथी आपके द्वार कार्यक्रम निश्चित ही सफल होगा।

नए कीर्तिमान स्थापित: अजय

विधायक अजय विश्नोई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आव्हान पर स्वच्छता के प्रति नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। सभी ने यह माना कि गंदगी फैलाना ठीक नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वच्छता की दिशा में बेहतर कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सामुदायिक शौचालयों की सफाई एक चुनौती है जिसे स्वच्छता के प्रति जागरूकता से ठीक किया जा सकता है।

स्वच्छता ही मनुष्य का पर्याय: बरकड़े

विधायक संतोष बरकड़े ने कहा कि स्वच्छता ही मनुष्य का पर्याय है। यदि मनुष्य है तो स्वच्छता है और स्वच्छता है तो स्वस्थ तन है और जब स्वस्थ तन है तो स्वस्थ मनरहेगा।

अनूठा उत्सव: नीरज

विधायक नीरज सिंह ने इसे एक अच्छी शुरूआत मानते हुए कहा कि देश भक्ति के साथ स्वच्छता का यह संयोजन एक अनूठा उत्सव है। स्वच्छता सभी के लिए आवश्यक है, अत- इसे अपने जीवन में उतारें और लोगों को इसके लिए प्रेरित करे। जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती आशा मुकेश गोटिया ने भी हर घर स्वच्छता पर जोर दिया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती आशा मुकेश गोंटिया, भाजपा के ग्रामीण राजकुमार पटेल सहित कलेक्टर दीपक सक्सेना,सीईओ जिला पंचायत अभिषेक गहलोत, सभी जनपद सीईओ सहित गणमान्य नागरिक व पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।

भव्यता शौचालयों से पता चलती है : इंदू

विधायक सुशील तिवारी इंदू ने स्वच्छता, संस्कार के शुभारंभ पर कहा कि किसी भी घर, होटल या शासकीय भवनों की भव्यता उसके शौचालयों से पता चलता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता का सीधा संबंध स्वास्थ्य से है। अत-सभी की जिम्मेदारी है कि स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि इससे बहुत सी बीमारियों से सुरक्षा होती है। जन सामान्य के लिए अब यह आवश्यक हो गया है कि स्वच्छता के इस संसार को अपनायें।

दीनदयाल में हर घंटे लग रहा जाम

▸ यातायात व्यवस्था चरमराई, चौराहा बना लोगों की मुसीबत

जबलपुर नवभारत। शहर के सबसे व्यस्तता वाले चौराहा दीनदयाल चौक इन दिनों रोजाना जाम की मार झेल रहा है। यहां पर हर घंटे जाम की स्थिति बन रही है। जानकारी के अनुसार यहां आईएसबीटी बस स्टैंड से जैसे ही बसों का आवागमन होता है, तो वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। बड़ी-बड़ी बसें जब चौराहे से होकर गुजरती है तो बाकी वाहन थम जाते हैं। इसके अलावा चौराहे पर चारों दिशाओं से आने ऑटो और ई- रिक्शा भी सवारी के लिए सड़कों तक खड़े रहते हैं, जिनकी मनमानी के चलते स्थिति और बिगड़ जाती है।

यहां बाजार में भी लोग परेशान

जबलपुर। एक ओर आगामी त्योहार के चलते मुख्य बाजार बड़ा फुहारा, कमानिया गेट में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। उससे बाजार क्षेत्र में भी ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई है। इसके अलावा ट्रैफिक जाम को और अधिक बढ़ाने के लिए ई-रिक्शा, तीन पहिया लोडिंग वाहन और चार पहिया वाहन अपना पूरा योगदान दे रहे थे। जिनकी धमाचौकड़ी लोगों के लिए सर दर्द बन चुकी हैं। इनकी मनमानी के कारण लोग जाम में फंसे रहे और परेशान होते हुए नजर आए।

जांच में अधिकारी कर रहे खानापूर्ति

▸ एमएलटी वेयरहाउस केंद्र हेरा फेरी मामला

नवभारत,जबलपुर। मूंग खरीदी के दौरान भेड़ाघाट के पास बनाए गए बसेड़ी समिति के केंद्र एम वेयरहाउस में मूंग और उड़द की फर्जी खरीदी का मामला सामने आया था। जिसमें की जा रही जांच पर अधिकारी खाना पूर्ति कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले में कुछ संबंधित अधिकारी जांच का समय निकाल कर मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उक्त अधिकारियों के द्वारा पूर्व में भी जांच की गई थी और हर बार क्लीन चिट दे दी गई। अब जबकि मामला उजागर हो गया है और कलेक्टर शक्ति के साथ पूरे मामले की जांच करवा रहे हैं। ऐसे में वे अधिकारी चाह रहे हैं कि मामले में लीपा पोती हो जाए और उनकी कार्यवाही दबी रहे।

अपराध हुआ सिद्ध तो उन पर आ जाएगी बात

विदित है कि इस मामले को लेकर उक्त अधिकारी पहले भी जांच कर चुके है यदि उसमें अपराध सिद्ध होगा तो कहीं ना कहीं बात उनके ऊपर भी बात आ सकती है। गौरतलब है कि बसेड़ी समिति का यह केंद्र खरीदी शुरू होने के बाद से ही विवादों में रहा है। जहां पर पहले उड़द में उड़द दाल एवं कचरा मिट्टी की पाँच बोरी झाड़न वाली उड़द मिली थी। इसके अलावा सर्वेयर के साथ मारपीट भी की गई थी अब फर्जी खरीदी का मामला सामने आया है।

गुरुवार को भी कुछ अधिकारी पहुंचे

उल्लेखनीय है कि एम एल टी वेयरहाउस में लगभग डेढ़ करोड रुपए मूल्य की मूंग और उड़द की फर्जी एंट्री का मामला सामने आए लगभग 8 दिन हो चुके है। जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा जांच के लिए 8 अगस्त को 7 सदस्यों का जांच दल बनाया गया था। देखा जाए तो 5 दिन बीत जाने के बाद भी सही तरीके से जांच शुरू नहीं हो पाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को जांच करने कुछ अधिकारी।

हमलावर जल्द किए जाएं गिरफ्तार, सिख समाज पहुंचा एसपी ऑफिस

जबलपुर नवभारत। विजय नगर में हुई वारदात के हमलावरों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग को लेकर जबलपुर सिख संगत के अध्यक्ष हरेंद्र जीत सिंह बब्बू के नेतृत्व में नगर के सिख समाज ने एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। एडिशनल एसपी जितेंद्र सिंह परिहार ने ज्ञापन लेकर शीघ्र ही कठोर कार्यवाही का आश्वाशन दिया। इस मौके पर सिख समाज की धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं के पदाधिकारीगण एवं वकील बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। गुरु गोबिंद सिंह खालसा स्कूल की शिक्षिकाओं के दल ने भी ज्ञापन सौंपा। जानकारी के मुताबिक तीन माह पूर्व विगत 8 जून को विजय नगर स्थित शराब की दुकान में शराब कम्पनी के अधिकारी रांझी निवासी दिलीप सिंह सग्गू जब आडिट एवं लेखा कार्य कर रहे थे तब तत्वों ने दुकान में घुसकर उन पर जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर और सांघातिक चोटें पहुंचाई । सिख समाज ने आरोप लगाया कि आज भी अपराधी बेखौफ खुलेआम घूम रहे हैं । फिलहाल दिलीप सिंह सिंह तीन माह से कोमा में हैं। विजय नगर थाना प्रभारी ने बताया कि बुधवार सुबह एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शीघ्र ही अन्य आरोपी भी धर दबोचे जाएंगे।

कैंट विस क्षेत्र में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा

नवभारत,जबलपुर। भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप केन्ट विधानसभा क्षेत्र के विधायक अशोक ईश्वरदास रोहाणी ने एक भव्य और विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। यह तिरंगा यात्रा सुबह 11:00 बजे से रांझी क्षेत्र के बड़ा पत्थर से शुरू होकर मस्ताना चौक से होते हुए दर्शन सिंह तिराहा तक निकाली गई जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की झांकी मुख्य आकर्षण का केन्द्र रही। झांकी में युवा साथियों, मातृशक्तियों और जनप्रतिनिधिगणों ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया और देशभक्ति का संदेश जन-जन तक पहुंचाया। इस अवसर पर एम.आई.सी. सदस्य दामोदर सोनी, पुष्पराज सिंह सेंगर, गुड्डा केवट पार्षद निशांत झरिया, अनुराग दहिया, संतोषी ठाकुर सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकगण आदि उपस्थित रहे।

स्वतंत्रता दिवस पर नगर निगम परिसर में महापौर करेंगे ध्वजारोहण

नवभारत,जबलपुर। नगर निगम जबलपुर द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 15 अगस्त शुक्रवार को राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस मनाया जायेगा। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर महापौर जगत बहादुर सिंह ''अन्नू'' के मुख्य आतिथ्य एवं नगर निगम अध्यक्ष रिकुंज विज (रिंकू), नेताप्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा, सभी एम.आई.सी. सदस्य, एवं पार्षदगणों के विशिष्ठ आतिथ्य में नगर निगम कार्यालय परिसर में सुबह 08:00 बजे ध्वजारोहरण किया जायेगा।

नगर निगम परिसर में आयोजित राष्ट्रीय पर्व पर निगमायुक्त प्रीति यादव ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सुबह 7:30 बजे उपस्थित रहने आदेशित किया है, और समस्त व्यवस्थाओं के लिए अपर आयुक्त विद्यानंद बाजपेयी, प्रशांत गोटिया, मनोज श्रीवास्तव, श्रीमती अंजू सिंह, कार्यालय अधीक्षक दिलीप दुबे के साथ सभी संबंधित अधिकारियों को भी अलग से जिम्मेदारी दी है।

याद-ऐ-वतन कार्यक्रम का आयोजन आज

नवभारत,जबलपुर। सामाजिक समितियों के सहयोग एवं नगर निगम जबलपुर के संयुक्त तत्वावधान में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित याद-ऐ-वतन कार्यक्रम 14 अगस्त गुरूवार को शाम 07 :00 बजे से मानस भवन के प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को सुरमयी भावांजली और संस्कारधानी के सुरसाधकों द्वारा देशभक्ति पूर्ण गीतों की अभिनव प्रस्तुति दी जायेगी तथा हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता के संदेशों के साथ-साथ देश भक्ति और प्रेम का भी संदेश दिया जायेगा। इस कार्यक्रम में महापौर जगत बहादुर सिंह ''अन्नू'' ने सभी गणमान्यजनों, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों कर्मचारियों से उपस्थिति की विनम्र अपील की है।

अवैध रूप से मदरसा चलाने का आरोप

▸ हिन्दू धर्म सेना ने सौंपी शिकायत

जबलपुर नवभारत। हिन्दू धर्म सेना, मध्य प्रदेश द्वारा थाना प्रभारी आधारताल, को शिकायत सौंपी। जिसमें आरोप लगाया कि कुदवारी, महाराजपुर, तहसील आधारताल स्थित शासकीय भूमि पर अवैध रूप से मदरसा निर्माण कार्य किया जा रहा है। शिकायत में बताया कि संबंधित व्यक्तियों ने मदरसा निर्माण के लिए मालद्वीप से चंदा एकत्र कर, राशि विभिन्न खातों में जमा की और बिना किसी शासकीय अनुमति के निर्माण कार्य प्रारंभ किया। उक्त भूमि पर अवैध कब्ज़ा करते हुए मदरसा निर्माण को लेकर क्षेत्रीय नागरिकों में भी रोष है। इस दौरान प्रदेश संयोजक अर्पित सिंह ठाकुर, राज शर्मा, कपिल रैकवार, राहुल महावार, आकाश रैकवार, नितिन, आशीष रैकवार, अमन, तरुण नागिया आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

5000 बहनों ने बांधी विधायक पाण्डेय को राखी

जबलपुर। उत्तर मध्य विधानसभा में विधायक डॉ अभिलाष पाण्डेय द्वारा होम साइंस कॉलेज रोड स्थित विधायक कार्यालय सेवा सदन में रक्षाबंधन महोत्सव का आयोजन बुधवार को किया गया इस दौरान लगभग 5000 महिलाओं ने पहुंचकर डॉ पाण्डेय को राखी बांधी एवं आशीर्वाद दिया। रक्षाबंधन महोत्सव के अवसर पर सेवा सदन में बहनों का भव्य स्वागत किया गया एवं मेंहदी लगाकर एवं चूड़ियां पहनाकर रक्षाबंधन महोत्सव में स्वागत किया गया। इस दौरान ब्राम्हण समाज,सोनी समाज,क्षत्रिय सभा, करनी सेना,जैन समाज,वैश्य समाज,सेन समाज,साहू समाज,कोरी समाज एवं अन्य सभी प्रमुख समाजों की महिलाओं के समूह ने भी विधायक डॉ अभिलाष पाण्डेय को राखी बांधी और निरंतर सेवा करने का आशीर्वाद दिया। इस दौरान सोनिया सिंह,मधुबाला राजपूत,अंशुल यादव, निशा तिवारी, वर्षा सेन,रेनू कोरी,रजनी साहू,नीता रजक,मोना साहू सहित हजारों महिलाओं ने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई।

बरेला में निकाली गई तिरंगा यात्रा

जबलपुर नवभारत। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवाहन पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित, देश भर में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा के क्रम में पनागर विधायक सुशील तिवारी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा के प्रभारी हर्ष तिवारी, के संयोजन में बरेला नगर में भी विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। जिसमें न. प. अध्यक्ष प्रतीक दुबे, अर्पित जैन (गोलू) राहुल बारी,आशा गोटिया, सोनू सोनकर, संजय पटेल मनोज यादव, रामेश्वर साहू,राजू रजक, दीपक वरकडे, संजय पटेल, रामेश्वर साहू, मुनि विश्वकर्मा, विक्की पटेल,प्रवेश पटेल, भानु नवेरिया,मैसी विश्वकर्मा, सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

जर्जर विद्युत पोल से लोगों की जान पर खतरा

मझौली। ग्राम पंचायत मझगवां पाली (जनपद पंचायत मझौली) में मेन रोड पर स्थित एक विद्युत पोल जर्जर हालत में खड़ा है, जो किसी भी समय गिरकर बड़ा हादसा कर सकता है। ग्रामवासियों के अनुसार, पोल की स्थिति इतनी खराब है कि उस पर लगे तार भी ढीले और क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ग्राम सरपंच मनोज परौहा ने इस संबंध में विद्युत मंडल अधिकारियों को पत्र लिखकर तत्काल मरम्मत की मांग की है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि 15 अगस्त को ग्राम में कार्यक्रम आयोजित होना है, ऐसे में पोल की मरम्मत न होने पर दुर्घटना का खतरा और बढ़ जाएगा। ग्रामवासियों का कहना है कि पोल के पास केबल जमीन पर पड़ी हुई है और बारिश के मौसम में इससे करंट फैलने की संभावना बनी रहती है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सुधार कार्य नहीं किया गया, तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइल हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अतः देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को क्लियर कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों का नाम	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	कुल बकाया.... रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री नन्हेभाई श्रीमती पूना बाई (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10259778)	पटवारी हल्का संख्या 34, क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर कटरा बेलखेड़ा, पाटन, जबलपुर, मध्य प्रदेश, 482004 में स्थित खसरा संख्या 62 में से 1.5 वर्ग फुट - भारत भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, कार्पेट क्षेत्रफल प्रवेश क्षेत्र (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- निर्मित क्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफल- 600.00, 304.00, 243.00.	रु.372937/- (रु. तीन लाख बहत्तर हजार नौ सौ सैंतीस मात्र)	28-04-2025	11-08-2025
श्री मुकेश कुमार बर्मन, श्रीमती चंदा (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10298669)	पटवारी हल्का संख्या 13, खसरा संख्या 1/4, 1/3, ग्राम गुड्डकदोहा, विजयराघवगढ़, जबलपुर, मध्य प्रदेश, 483775 में स्थित भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, कार्पेट क्षेत्रफल प्रवेश क्षेत्र (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- निर्मित क्षेत्रफल संपति का क्षेत्रफल- 2000.00, 1197.00, 900.00.	रु.326254/- (रु. तीन लाख छब्बीस हजार दो सौ चौवन मात्र)	17-02-2025	11-08-2025
श्री ब्रजेश कुमार चौहान श्रीमती संगीता चौहान एमएक्स साक्षी चौहान (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10455027)	पटवारी हल्का नं. 47, बिलहरी, रीठी, कटनी, मध्य प्रदेश 483501 भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- निर्मित क्षेत्रफल, संपत्ति क्षेत्रफल- 1738.00, 1190.00.	रु.401339/- (रु. चार लाख एक हजार तीन सौ उन्चालीस मात्र)	28-04-2025	08-08-2025
श्री भरत झारिया श्रीमती कृष्णा श्रीमती रीना (प्रास्पेक्ट संख्या आईएल10482107)	पीएच संख्या 31, खसरा संख्या 99, हरदुआ, पाटन, जबलपुर, मध्य प्रदेश, 483113, भारत प्रदेश, 483113 भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- निर्मित क्षेत्रफल, संपत्ति क्षेत्रफल- 900.00, 508.00, 635.00.	रु.435873/- (रु. चार लाख पैंतीस हजार आठ सौ तिहेतर मात्र)	20-03-2025	11-08-2025
श्री रामकुमार प्रजापति श्रीमती मीना प्रजापति (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10535845)	पीएच संख्या 37, खसरा संख्या 231/1, वार्ड संख्या 8, मकान संख्या 33, बिजौरी, बड़वारा, कटनी, मध्य प्रदेश, भारत में स्थित है, 483773 भूमि_क्षेत्र, कार्पेट_क्षेत्र, निर्मित_क्षेत्र क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- निर्मित_क्षेत्र, संपत्ति क्षेत्रफल- 3229.00, 688.00, 860.00.	रु.362758/- (रु. तीन लाख बांसठ हजार सात सौ अट्ठावन मात्र)	28-04-2025	11-08-2025
श्री पुष्पेन्द्र विश्वकर्मा, श्रीमती फूल बाई विश्वकर्मा, श्रीमती रामेश्वर विश्वकर्मा (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10666114)	पीएच नं. 41, वार्ड संख्या 05, खसरा संख्या 317, मकान संख्या 72, अहरोरा, बटियागढ़, दमोह, मध्य प्रदेश, भारत में स्थित, 470673 भूमि_क्षेत्र, कार्पेट_क्षेत्र क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- निर्मित_क्षेत्र, संपत्ति क्षेत्रफल- 1500.00, 1450.00.	रु.520573/- (रु. पांच लाख बीस हजार पांच सौ तिहेतर मात्र)	07-05-2025	11-08-2025

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी ब्रांच आफिस: 225, नेपियर टाउन, दूसरा माला, अपोजिट चन्द्रिका टॉवर्स, शास्त्री ब्रिज रोड, जबलपुर- 482001 या कार्पोरेट ऑफिस- प्लॉट नं. 98, फेस- IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान- जबलपुर, दिनांक : 14-8-2025 — प्रा. अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

नगर परिषद मझौली की कार्यप्रणाली पर सवाल

▸ भवन स्वीकृति व डायवर्सन की जानकारी नहीं दे रहे

मझौली। नगर परिषद मझौली की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। एक ओर परिषद भवन निर्माण स्वीकृति और डायवर्सन संबंधी जानकारी तक प्रदान करने में असमर्थ है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत 18 लोगों को आवास स्वीकृति दे दी गई है। सूत्रों के अनुसार, 13 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों की सूची हेतु एक शिविर आयोजित किए जाने का कार्यक्रम तय था। इस शिविर में आवास हेतु पात्र लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित की जानी थी, ताकि इच्छुक नागरिक अपनी पात्रता की जांच कर सकें। लेकिन न तो इसका कोई प्रचार-प्रसार किया गया, और न ही नगर परिषद कार्यालय में शिविर आयोजित किया गया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि परिषद द्वारा जानबूझकर इस प्रक्रिया को दबाया गया, जिससे आम जनता को योजना की जानकारी न मिल सके। नागरिकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि नगर परिषद मझौली के इस मामले में जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए और आवास योजना में पात्र सभी लोगों को अवसर दिया जाए।

CENTRUM Home Loans — Aao milkar ghar banaye

कॉर्पोरेट और पंजीकृत कार्यालय: यूनिट नंबर 801, सेंट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई - 400098, सीआईएन नंबर U65922MH2016PLC273826

डिमांड नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ की धारा १३(२) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ के नियम ३ (१) के साथ पठित

अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं. उक्त अधिनियम की धारा १३ (१२) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ के नियम ३ के साथ पठित, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा १३ (२) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं (उक्त उधारकर्ता) से राशि वापस करने का आह्वान किया गया है. उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त उधारकर्ता को इस नोटिस के प्रकाशन से ६० दिनों के भीतर सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को नीचे दर्शाई गई राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जाता है, साथ ही उक्त डिमांड नोटिस में विस्तृत रूप से देय राशि के पूर्ण पुनर्भुगतान की तारीख तक ब्याज और अन्य शुल्क भी देना होगा. नीचे उल्लिखित तारीखों से लेकर भुगतान और / या वसूली की तारीख तक, उक्त उधारकताओं द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों / लिखित दस्तावेजों, यदि कोई हो, के साथ पठित ऋण समझौते के तहत देय ऋण की देय चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित परिसंपत्तियों को क्रमशः उधारकताओं द्वारा सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को गिरवी रखा गया है

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या/उधारकर्ता (ओं)/सह-उधारकर्ता (ओं)/ गारंटर (ओं) का नाम	कुल बकाया राशि (रु.)	एनपीए दिनांक / सेक. 13(2) नोटिस दिनांक / एफसीएल दिनांक	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
1	JLRJL22007846 / बीरेंद्रसिंह विश्वनाथसिंह/पुष्पा सिंह सेंगर	रु. 898141.00 (रुपये आठ लाख अट्ठानवे हजार एक सौ इकतालीस मात्र)	04-07-2025 30-07-2025 24-07-2025	अधिकारों में, अचल संपत्ति का एक टुकड़ा और पार्सल, मौजा पुरवा, प्रवेश 588 वर्ग फुट, एन.बी. संख्याः 162, पी.एच. संख्याः पूर्वा (28/33), पटवारी के.एच. संख्याः 713, त्रिपुरी वार्ड, न्यू शास्त्री नगर, तहसील गोरखपुर, जिला-जबलपुर-482001, मध्य प्रदेश। सीमाएँ:- पूर्वः अन्य भूमि, पश्चिमः साइड रोड, उत्तरः विक्रेता की शेष भूमि, दक्षिणः बलराम पटेल का मकान
2	JLRJL23011013/रंजीता कोल/आदित्य कुमार कोल	रु. 1766727.00 (रुपये सत्रह लाख छियासठ हजार सात सौ सत्ताईस मात्र)	04-07-2025 30-07-2025 24-07-2025	अधिकारों में, अचल संपत्ति का एक टुकड़ा और पार्सल, मौजा बिलपुरा, पी.एच.नं. 53 (नया) और 21/16 (पुराना), ADM 800 वर्ग फुट, के.एच. संख्याः 593/1/2, वार्ड संख्या 78, तहसील पनागर और जिला-जबलपुर-482011, मध्य प्रदेश। सीमाएँ:- पूर्वः प्लॉट संख्या 5, गुड्डी बाई (विक्रेता) के पास, पश्चिमः प्लॉट संख्या 3, गुड्डी बाई (विक्रेता) के पास, उत्तर-साइड रोड, दक्षिणः गुड्डी बाई (विक्रेता) के पास

यदि उक्त उधारकर्ता सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा, जो पूरी तरह से लागत और परिणामों के रूप में उक्त उधारकताओं के जोखिम पर होगी। उक्त उधारकताओं को अधिनियम के तहत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए उकसाता है, वह अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

स्थानः मध्यप्रदेश, दिनांक : 14.08.2025 — एसडी/- सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए अधिकृत अधिकारी